उसी ज्ञापांक– आत्मा–08/2014–4542 दिनांक 30.09.2014 का प्रतिस्थानी राज्यादेश

बिहार सरकार,

कृषि विभाग।

पत्र संख्या–आत्मा–08/2014– 4542 /कृ0, पटना, दिनांक 30.09.2014

15-10-2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। (*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए रू. 18010.8484 लाख रूपये (एक अरब अस्सी करोड़ दस लाख चौरासी हजार आठ सौ चालीस रूपये) (केन्द्रांश मद में 13980.3714 लाख रूपये एवं राज्यांश 1553.3746 लाख रूपये तथा राज्य योजना मद में कुल 2477.10240 लाख रूपये) की स्वीकृति के अधीन तत्काल केन्द्रांश मद में 7543.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 3584.96 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार केन्द्र प्रायोजित योजना नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए रू. 18010.8484 लाख रूपये (एक अरब अस्सी करोड़ दस लाख चौरासी हजार आठ सौ चालीस रूपये) (केन्द्रांश मद में 13980.3714 लाख रूपये एवं राज्यांश 1553.3746 लाख रूपये तथा राज्य योजना मद में कुल 2477.10240 लाख रूपये) की स्वीकृति के अधीन तत्काल केन्द्रांश मद में 7543.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 3584.96 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के माध्यम से प्रारंभ नई आत्मा योजना में कृषि प्रसार तंत्र को सक्षम तथा प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से तथा कृषि की उन्नत तकनीकी जानकारी किसानों को हस्तानान्तरित करने हेतु प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण, परिभ्रमण, किसान पाठशाला का संचालन, पुरूष/महिला किसान समूह का गठन/खाद्य सुरक्षा समूह का गठन कर कर के बिहार सभी किसानों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया जायेगा। किसान मेला/गोष्ठी/सम्मेलन/ कर्मशाला आदि का आयोजन कर के किसानों को कार्य कुशल बनाया जायेगा। राज्य के अतिविशिष्ठ/सर्वश्रेठ कृषकों द्वारा प्राप्त कृषि/कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रो की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हे पुरस्कृत किया जायेगा। किसानों के द्वारा प्राप्त सफलता को अन्य किसानों के बीच प्रचारित करने हेतु तकनीकी फिल्म का निर्माण किया जायेगा। कृषि/कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रो की अद्यतन तकनीक को जल्द से जल्द प्रचारित प्रसारित

E:\ABHINAV\2014-15\ATMA (SANLEKH)\NMAET.doc

अशोक प्रसाद

करने के लिए आत्मा योजना में Innovative Technology Dissemination (ITD) घटक सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना की प्रमुख विशेषता है।

3. वर्ष 2014–15 में जिला तथा न्यून स्तर पर निम्न कार्यक्रम चलाये जायेंगें,

मद	भौतिक लक्ष्य
किसानों का प्रशिक्षण	511572
प्रत्यक्षण	48060
एक्सपोजर विजिट	120150
किसान समूह का गठन	5340
किसान समूह को रिभॉलविंग फंड	2670
महिला समूह	1068
किसान समूह को पारितोषिक	190
किसान पारितोषिक	2680
किसान मेला	39
इल्केट्रॉनिक फार्म में टेक्नोलोजी पैकेज का निर्माण	380
किसान वैज्ञानिक संवाद	76
किसान गोष्ठी	1068
कृषि विज्ञान केन्द्र की सहायता	51
फार्म स्कूल	1602

उक्त वर्णित कार्यक्रमों के अतिरिक्त राज्य स्तर पर कतिपय मदों का कार्यान्वयन किया जायेगा। राज्य (स्टेट कोआर्डिनेटर, जेण्डर कोआर्डिनेटर, निदेशक बामेती, उप निदेशक बामेती, लेखापाल, कम्पयुटर ऑपरेटर, भंडारपाल, आशुलिपिक–सह– लिपिक, अनुसेवक–सह–चौकीदार) जिला स्तर पर (परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, लेखापाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, आशुलिपिक–सह–लिपिक तथा अनुसेवक–सह– चौकीदार) तथा प्रखंड स्तर पर (प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल, कम्प्युटर ऑपरेटर तथा अनुसेवक–सह–चौकीदार) को भी रखने का मद स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान का भाग है।

3. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) बिहार के सभी 38 जिलों में क्रियान्वित की जायेगी।

4. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अधीन संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) का कार्यान्वयन संपूर्ण राज्य में बामेती/आत्मा द्वारा किया जायेगा।

5. बामेती/आत्मा कृषि विभाग के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत निबंधित संस्था है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की मार्गदर्शिका के आलोक में कृषि प्रसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन संपूर्ण राज्य में किया जायेगा।

6. इस योजना के लागू होने से बिहार के 38 आत्मा जिलों में कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण एवं परिभ्रमण आदि के माध्यम से दी जायेगी।

7. आत्मा/बामेती सोसाइटी के द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा निर्धारित शर्त की सीमा में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाइन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सोसाइटी द्वारा किया जायेगा।

8. सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के द्वारा राशि का हस्तानान्तरण RTGS के माध्यम से किया

जाता था किन्तु भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्र सं. D.O. No. 3-10/2013-PC (Vol. II) दिनांक 22.02.2014 के द्वारा सूचित किया गया है कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) की राशि राज्य के संचित निधि में हस्तांतरित की जायेगी (अनुसूची–1 संलग्न)।

9. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी की राशि राज्य के संचित निधि में प्राप्त होने के पश्चात मुख्यालय स्तर पर कृषि निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी कोषागार के माध्यम से राशि की निकासी करेंगें। संलग्न अनुसूची–3 के अनुसार निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

10. बामेती/राज्य नोडल सेल मद से व्यय होने वाली राशि का विपत्र निदेशक बामेती तैयार कर निदेशक कृषि को प्रस्तुत करेंगें और जिला स्तर पर परियोजना निदेशक आत्मा विपत्र तैयार कर जिला कृषि पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। विपत्र के आधार पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि निकासी कर उपलब्ध करायेंगें।

11. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली का पत्र सं. 27(6)/2014– AE दिनांक 02.07.2014 के द्वारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के अधीन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना का स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है (अनुसूची–2)।

12. कैफेटेरिया ऑफ एक्टिविटी में वर्णित कार्यमदों में 90 प्रतिशत केन्द्रांश देता है शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कैफेटेरिया ऑफ एक्टिविटी में निदेशक बामेती, स्टेट/जेन्डर कोआर्डिनेटर उप निदेशक, परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, लेखापाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक का वेतन 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार 10 प्रतिशत राज्य सरकार किन्तु किसान मित्र का मानदेय का भुगतान 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 50 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा। भंडारपाल (बामेती) आशुलिपिक–सह–लिपिक एवं अनुसेवक–सह–चौकीदार का मानदेय शत प्रतिशत व्यय भार राज्य योजना से वहन किया जायेगा। मदवार वित्तीय आवश्यकता निम्न प्रकार (राशि लाख) है–

मद	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान	13980.3714	1553.3746	15533.746
राज्य योजना से स्वीकृत पद	-	2441.1024	2441.1024
बामेती के नवनिर्मित भवन हेतु सुरक्षा व्यवस्था	–	36.00	36.00
कुल	**13980.3714**	**4030.477**	**18010.8484**

13. पदों के अवधि विस्तार/सृजन की स्वीकृति से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है,

विवरण	पद सं०	वेतनमान/नियत वेतन			योग्यता	अभ्युक्ति
		भारत सरकार के प्रावधान	पूर्व से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रावधान	स्वीकृत		
राज्य स्तर पर स्टेट कोआर्डिनेटर (नियत वेतन)	01	नियत मानदेय 40,000/– प्रति माह	30000/–	33000/–	एन.एम. ए.ई. टी. की मार्गदर्शिका के अनुसार।	अवधि विस्तार
राज्य स्तर पर जेन्डर कोआर्डिनेटर (नियत वेतन)	01	नियत मानदेय 40,000/– प्रति माह	–	33000/–	– तथैव –	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्र सं. 9-4/2008-AE दिनांक 03 मार्च, 2014 के

						द्वारा नये पद का सृजन।
बामेती						
निदेशक	01	37400–67000+8700	71500/–	अपने वेतनमान में।	–	अवधि विस्तार
उप निदेशक	12	15600–39100+6600	30800/–	33880/–	– तथैव –	अवधि विस्तार
लेखापाल	01	9300–34800+4200	11000/–	12100/–	– तथैव –	अवधि विस्तार
कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	नियत 16000/–	8800/–	12100/–	स्नातक एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।	अवधि विस्तार
भंडारपाल	01	राज्य योजना	11000/–	12100/–	स्नातक।	अवधि विस्तार
आशुलिपिक–सह–लिपिक	01	राज्य योजना	11000/–	12100/–	स्नातक।	अवधि विस्तार
अनुसेवक–सह–चौकीदार	02	राज्य योजना	6600/–	7260/–	मैट्रिक/समकक्ष	अवधि विस्तार
जिला स्तर पर आत्मा कार्यालय हेतु						
परियोजना निदेशक	38	15600–39100+6600	30800/–	अपने वेतनमान में।	–	राज्य सरकार द्वारा अभिगृहित।
उप परियोजना निदेशक	76	15600–39100+5400	23100/–	अपने वेतनमान में या संविदा आधारित नियोजित का नियत 25410/–	–	राज्य सरकार द्वारा अभिगृहित।
लेखापाल	38	9300–34800+4200	11000/–	12100/–	एन.एम. ए.ई. टी. की मार्गदर्शिका के अनुसार।	अवधि विस्तार
कम्प्यूटर प्रोग्रामर	38	नियत मानदेय 16000/–	8800/–	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के देय मानदेय।	स्नातक एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।	अवधि विस्तार
आशुलिपिक–सह–लिपिक	38	राज्य योजना	8800/–	9680/–	स्नातक।	अवधि विस्तार
अनुसेवक–सह–चौकीदार	76	राज्य योजना	6600/–	7260/–	मैट्रिक/समकक्ष	अवधि विस्तार
प्रखंड स्तर पर						
प्रखंड तकनीकी प्रबंधक	534	नियत मानदेय 25000/–	20000/–	25000/–	एन.एम. ए.ई. टी. की मार्गदर्शिका के अनुसार।	अवधि विस्तार
विषय वस्तु विशेषज्ञ	1068	नियत मानदेय 15000/–	–	–	–	विषय वस्तु विशेषज्ञ का पद भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने समाप्त कर दिया है इसलिये 1068 विषय वस्तु विशेषज्ञ का पद को प्रत्यार्पित किया जाता है।

सहायक तकनीकी प्रबंधक	1602	नियत मानदेय 15000/–	–	15000/–	एन.एम. ए.ई. टी. की मार्गदर्शिका के अनुसार।	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्र सं. 9-4/2008-AE दिनांक 03 मार्च, 2014 के द्वारा विषय वस्तु विशेषज्ञ के स्थान पर सहायक तकनीकी प्रबंधक पद का सृजन किया गया है।
लेखापाल	534	राज्य योजना	11000/–	12100/–	स्नातक कॉमर्स	अवधि विस्तार
कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ ऑपरेटर	534	राज्य योजना	8800/–	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के देय मानदेय।	स्नातक एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।	अवधि विस्तार
अनुसेवक –सह– चौकीदार	1068	राज्य योजना	6600/–	7260/–	मैट्रिक/ समकक्ष	अवधि विस्तार

14. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

15. वर्ष 2014–15 में केन्द्रांश मद में निकासी/व्यय के लिए स्वीकृत राशि 7543.00 लाख रूपये (पचहत्तर करोड़ तेतालीस लाख रूपये) का व्यय मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग सं.–1–उपशीर्ष–0217–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401001090217 विषय शीर्ष–31 04 सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित 200.00 लाख रूपये एवं विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित 7343.00 लाख रूपये, कुल 7543.00 लाख रूपये (पचहत्तर करोड़ तेतालीस लाख रूपये) से विकलनीय होगा।

राज्यांश मद में निकासी/व्यय के लिए स्वीकृत राशि 3584.96 लाख रूपये (पैंतीस करोड़ चौरासी लाख छियान्वे हजार रूपये) का व्यय मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग सं.–1–उपशीर्ष–0317–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401001090317 विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित 3869.37 लाख रूपये में से अवशेष राशि 3584.96 (पैंतीस करोड़ चौरासी लाख छियानवे हजार रूपये) से विकलनीय होगा।

16. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या–आत्मा–08/2014 के पृ0सं0– 15/टि. पर दिनांक– 09.09.2014 को प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– आत्मा–08/2014 के पृ0सं0– 18/टि. पर दिनांक– 29.09.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.10.14

(विश्वनाथ चौधरी)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

निगम

15-10-14
अशोक प्रसाद

E:\ABHINAV\2014-15\ATMA (SANLEKH)\NMAET.doc

30-09-2014

ज्ञापांक 4542 /कृ0, पटना, दिनांक ~~15-10-~~ 2014

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.10.14

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 4542 /कृ0, पटना, दिनांक 30-09-2014 ~~15-10-~~ 2014

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.10.14

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 4542 /कृ0, पटना, दिनांक 30-09-2014 ~~15-10-~~ 2014

प्रतिलिपि : मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, उद्यान/निदेशक, बामेति, पटना/कृषि विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/योजना एवं बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.10.14

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2014-15\ATMA (SANLEKH)\NMAET.doc

अनुसूची–1

ASHISH BAHUGUNA
SECRETARY

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation

D.O.No.3-10/2013-PC (Vol.II)

February 22, 2014

Dear Shri Sinha,

I am writing this letter to inform you of the revised procedure for transfer of funds to State Governments for implementation of various Centrally Sponsored Schemes, including RKVY.

As you are aware, under the current system, funds for the implementation of various Centrally Sponsored Schemes are released to State Governments, or to Agencies identified by the State Governments. This procedure has now been revised on the request of several State Governments. With effect from 2014-15, funds for the implementation of these schemes will be classified and budgeted as "Central Assistance to State Plans", and transferred to the Consolidated Fund of the States, and not to any other Agency.

I shall be grateful if you could kindly advise your colleagues in the State Government to carry out the necessary changes in procedures so that no disruption is caused in the implementation of Centrally Sponsored Schemes in 2014-15.

With regards,

Yours sincerely,

(Ashish Bahuguna)

Shri Ashok Kumar Sinha
Chief Secretary
Government of Bihar
Main Secretariat Building
Patna - 800 015

मुख्य सचिव कार्यालय
डायरी सं० 192
दिनांक 4/3/14

प्रधान सचिव कृषि कोषांग
पत्र डायरी संख्या 1634
दिनांक 6-3-2014

निदेशक, पी० पी० एम० कोषांग
डायरी संख्या 258
दिनांक 10/03/14

Office : Krishi Bhawan, New Delhi-110001, दूरभाष / Phone : 23382651, 23388444 फैक्स सं० / Fax No. : 23386004
E-mail : secy-agri@nic.in

प्र०सचिव० आप्त ✓

अनुसूची–2

28

प्रधान सचिव, कृषि कोषांग
12 JUL 2014
4809
बिहार, पटना

मि.सं/F.No. 27(6)/2014-AE
भारत सरकार/Government of India
कृषि मंत्रालय/Ministry of Agriculture
कृषि एवं सहकारिता विभाग/Department of Agriculture & Cooperation
विस्तार सुधार ईकाई/Extension Reforms Unit

कमरा सं 546 /Room No. 546
कृषि भवन/Krishi Bhawan
नई दिल्ली/New Delhi - 110 114
दिनांक/Dated, the July 2, 2014

To,

The Principal Secretary Agriculture
Govt. of Bihar,
New Secretariat Building,
Bailey Road, Patna – 800015

Subject: Approval of State Extension Work Plan (SEWP) of Bihar for 2014-15 under ATMA component of National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) – reg.

तिथि 14.7.14
संख्या 178

Sir,

I am directed to refer to your letter No. ATMA-02/2013-2582/Agril./Patna dated June 19, 2014 forwarding therewith SEWP 2014-15 for **38** ATMA districts approved by the State Level Sanctioning Committee (SLSC), Bihar in its meeting held on 21.05.2014. The Administrative approval of the competent authority to the SEWP 2014-15 for an amount of **Rs. 15533.746 lakh {restricting allocation for each activity within approved cost norms and cap prescribed under ATMA cafeteria 2014 of Sub-Mission on Agricultural Extension (SMAE)under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET)}** is hereby conveyed as per the details given in the Annexure.

2. Funds earlier released to the State and lying unutilized will also be utilized for implementing activities being approved under State Extension Work Plan (SEWP).

3. Rs. 2584.48 lakhs is the tentative allocation communicated to the State vide our letter No. 9(3)/2014-AE dated 12th May, 2014. Any additional allocation over and above Rs. 2584.48 lakhs will depend on the relative progress in implementation and pace of expenditure under the ATMA Scheme in your State (compared to other States) and subject to overall availability of funds.

4. The cost norms on various activities should be strictly adhered to a **ATMA Cafeteria, 2014**. While implementing the SEWP activities as per enclo Cafeteria, it may be ensured that:

- Programmatic funds should be spent on rainfed areas at least i proportion to the extent of rainfed area in the district.
- **Existing provision of beneficiary contribution has since bee discontinued. As such, no beneficiary contribution from farmer shall be required on any of the Cafeteria activities with effect fror 2014-15.**
- At least 30% of resources meant for programmatic activities are to b allocated for women farmers and extension functionaries.
- At least 10% of the allocation on programmatic activities at district level i required to be used through non-governmental sector viz. NGOs, FOs PRIs, cooperatives, para-extension workers, agri-preneurs, inpu suppliers, corporate sector etc. A detailed plan for implementation c activities in PPP mode may be drawn and approved by IDWG **within on month** of issuance of this order.
- No expenditure shall be incurred on in-eligible items. In the event of an such expenditure, the in-eligible expenses shall be deducted from th State's next year's allocation.
- Funds sanctioned for SC & ST category of farmers should be strictl utilized for the purpose it is sanctioned.
- A detailed plan for utilizing funds under 'innovative activities' at distric level needs to be drawn and approved by IDWG/SLSC under intimation t Government of India.
- Farmer Advisory Committees (FACs) at State, District & Block level ma be necessarily constituted/ suitably strengthened and duly notifie **within 02 months** of the issuance of these orders for getting farmers feedback into the planning/implementing process.
- A 'Convergence Strategy' detailing therein the sector-wise and location wise details of trainings, demonstrations, Farm Schools with KVKs an SAUs may be drawn and approved by IDWG/SLSC **within one month** c issuance of this approval. Achieving convergence among variou extension functionaries under RKVY, ATMA, NHM,NFSM etc. a Panchayat level as detailed in Para 5.1.2 of ATMA Guidelines shall form part of the convergence strategy.
- **At least 50% of the mandatory activities indicated in ATMA Cafeteri 2014 and Innovative Technology Dissemination (ITD) component**

26

should be implemented as per provisions contained in the detailed guidelines.

- Approval of IDWG may be sought before implementation of SEWP 2014-15, if not obtained so far. Technical Committee's approval may also be got ratified in SLSC as and when next meeting is convened.

5. The funding support under the Revised Scheme shall be in the ratio of 90:10 (Centre:State) for all components of Cafeteria except 'Farmer Friend' where it will be in 50:50 ratio between the Centre and the States. **In case of Innovative Technology Dissemination (ITD) components 25% expenditure will need to be borne by the State Government.**

6. This approval will remain valid till next SEWP is approved.

7. Other terms and conditions conveyed in Administrative Approval of the scheme vide letter No. 27(4)/2014-AE/Extn. Desk dated 17th April, 2014 and *Operational Guidelines of 'Support to State Extension Programmes for Extension Reforms' Scheme, 2014* shall be applicable. **In case of any seeming contradiction with any of the earlier communications, the detailed Operational Guidelines shall prevail.**

Yours faithfully,

(Balram Singh)
Joint Director (Extn. Ref.)
Telefax: 011-23381764

Copy to:

1. Secretary (Agriculture), Govt. of Bihar, Department of Agriculture, Government of Bihar, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna – 800 015
2. The Director, State Institute of Agriculture Extension & Training (SAMETI), Bihar, P.O. Sahay Nagar, Jagdeo Path, Opp: Women's Polytechnic, Near Central Potato Research Station (CPRS), Patna – 800 014, Bihar.
3. Director (Admn.), Directorate of Extension, Krishi Vistar Bhawan, Pusa, New Delhi-110012.
4. P.S. to J.S. (Extn)/ Director (Extn.), DAC.
5. JD(ER)/EO(Y)
6. Hindi Anuwad Anubhag
7. State SEWP File/Guard File.

SEWP OF BIHAR FOR 2014-15 UNDER THE SCHEME 'SUPPORT TO STATE EXTENSION PROGR
EXTENSION REFORMS'

(Amount

S. No.	Indicative activities to be taken	Approved physical targets	Approved fin. allocation
A.	**STATE LEVEL ACTIVITIES**		
A.1	Monitoring & evaluation		
	(a) Quarterly review workshops and R-E Interfaces (pre-seasonal).	3	2.25
	(b) Concurrent Monitoring & Evaluation.	1	15.00
	(c) Expenses for Inter Departmental Working Group on extension reforms and other contingencies **including Operational support TA/ DA, hiring of vehicle/POL, and contingencies for SNO and State Coordinator**		10.00
A.2	a) Training courses – National/ Inter State / within the state (SAMETI) level – fee for IGNOU courses – Both Govt. & Non-Govt. extension functionaries (including NGOs, para extension workers, entrepreneurs, agri-clinics, agri-business centres, input suppliers, corporates, Farmer Friends, SMSs BTM, Project Director, Dy. Project Director, Director SAMETI & Faculty of SAMETI etc.)	13350	200.25
	b) Induction Training of ATMA functionaries	2136	21.36
	c) Refresher Training of All ATMA functionaries	520	5.20
	d) Development of Quality Resource material for training & HRD interventions	45	0.675
A.3	Exposure visit of extension functionaries to progressive states (A group of minimum 5 participants).	18690	186.90
A.4	Organization of state level exhibitions/ kisan melas/ fruit/ vegetable shows etc.	1	6.00
A.5	Krishi Expo and Regional Fairs		
	• Participation in Krishi Expo organized by DAC.	1	2.00
A.6	Rewards & incentives • Award for best performing district ATMA	1	1.50
A.7	a) Farmer Awards – Best farmers representing different enterprises.		
	State level	5	2.50
	District level	5	1.25
	b) Incentives for Exemplary Extension Work to District/Block	114	28.50
	c) Incentivising Scientist and Extension Personnel	Being a Lumpsum provision modalities are be finalized.	
	d) Lumpsum grant for PPP model		
A.8	Upgrading and restructuring of apex State level training institutions for greater autonomy/ private initiatives to respond to changing requirements as a State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI)		
	Recurring		
	(a) Operational expenses		74.76
	(b) Documentation of success stories etc. (preparation and dissemination).		5.00
	(c) Vehicle hiring & POL		4.00
	Non – Recurring		
	(d) Equipment		8.00
	GRAND TOTAL (A)		**575.15**
B.	**DISTRICT LEVEL ACTIVITIES (For each district)**		
	I. Farmer oriented activities		
B.1	Developing Strategic Research & Extension Plan (SREP)	6	9.000
B.2	Training of farmers for maximum period of 21 days.		
	a) Inter-State	17622	220.275
	b) Within State	24030	240.300
	c) Within district level -*(i) Residential*	469920	1174.800
	(ii) Non-Residential	0	0.000
B.3	Organizing demonstrations		
	a) Demonstration (Agri.)	32040	1281.600
	b) Demonstration (allied sector)	16020	640.800

	Indicative activities to be taken	Approved physical targets	Approved financial allocation
B.4	Exposure visit of farmers – maximum duration of 7 days excluding travel time		
	a) Inter State	18690	149.520
	b) Within the State	53400	213.600
	c) Within District	48060	144.180
B.5	Mobilization of farmer groups of different types including Farmer Interest Groups, Women Groups, Farmer Organizations, Commodity Organizations, and Farmer Cooperatives etc.		
	a) Their capacity building, skill development and support services	5340	267.000
	b) Seed money /revolving fund	2670	267.000
	c) Food Security Group	1068	106.800
B.6	Rewards and incentives –		
	- Best organized group representing different enterprises (5 groups)	190	38.000
B.7	Farmer Awards -best farmers representing different enterprises - Block level	2670	267.000
	II. Farm information dissemination		
B.8	District level exhibitions, kisan melas, fruits/ vegetable shows.	38	152.00
B.9	a) Information dissemination through printed leaflets etc and local advertisements.	38	152.00
	b) Low cost publication	534	384.48
B.10	Development of technology packages on electronic form to be shared through IT network.	380	76.00
	III. Agricultural Technology Refinement, Validation and Adoption		
B.11	(i) Farmer Scientist Interactions at district level 25 farmers for 2 days.	76	15.20
	(ii) Designated expert support from KVK/ SAU at district level.	51	**9.12**
	(iii) Joint visits by Scientists and Extension Workers	0	**10.944**
B.12	Organization of field days and kisan gosthis to strengthen Research – Extension – Farmer linkages (per block in each season).	1068	160.200
B.13	Assessment, refinement, validation and adoption of frontline technologies and other short term researchable issues through KVKs and other local research centres.	38	190.000
	IV. Administrative / Capital expenses		
B.14	**Establishment of ATMA like institutions**		
	(i) Operational Expenses including TA/ DA for district level	24	296.40
	(ii) Hiring of vehicles and POL	24	68.40
	(iii) Operational Expenses exclusively for block level (including hiring of vehicles and POL)	259	160.20
	(iv) Operational Expenses for DFAC	**152**	**30.40**
	(v) Operational Expenses for BFAC	**6408**	**961.20**
	Non – Recurring		
	(vi) Equipment	38	152.00
B.15	Farm School	1602	471.212
	TOTAL (B)		**8309.631**
C.	**INNOVATIVE ACTIVITIES – State Level**		
C.1	Implementation of Extension Activities through Agri-Entrepreneurs trained under Agri-Clinic scheme.	0	0.00
C.2	PG Diploma in Agricultural Extension Management through MANAGE	0	0.00
	TOTAL (C)		**0.00**
D.1	Support for district level Training Institutions – It may include both "Operational Expenses" * and Non-Recurring Expenditure.	38	190.00
D.2	(i) Setting up CRS	1	65.00
	(ii) Content Creation		
	(a) 1st Year for two hrs. of daily programme i.e. 730 hrs./ year		
	(b) 2nd year for one & half hr. of daily programme i.e. 540 hrs/ year		
	(c) 3rd year for 1/2 hr. of daily prog. i.e. 183 hrs./ year.		

S. No.	Indicative activities to be taken	Approved physical targets	Appro... all...
D.3	Farmer Friend	4232	253.
	TOTAL (D)		508.92
E.	OTHER INNOVATIVE ACTIVITIES –		
E.1	Innovative activities – State component	1	25.00
E.2	Innovative activities – District component	534	267.00
	TOTAL (E)		292.00
F.	ITD components		
F.1	***Display board***	**847**	***16.94***
F.2	***Pico projector***	**534**	***160.20***
F.3	***Low cost film production***		***0.00***
F.4	***a)Handheld Devices***	***0***	***0.00***
	b) GPRS charges	***0***	***0.00***
F.5	***Kala Jatha & other innovative practices***	***0***	***0.00***
	TOTAL (F)		177.14
	Total innovative activities(C+D+E)		978.05
G	Specialist and Functionary Support		
1	State Coordinator	1	4.80
2	Gender Coordinator	1	4.80
3	Director	1	95.80
4	Deputy Director	12	0.000
5	Accountant-cum-clerk	1	0.000
6	Computer Programmer	1	0.000
7	Project Director	38	1079.9
8	Deputy Project Director	76	0.00
9	Accountant-cum-clerk	38	0.00
10	Computer Programmer	38	0.00
11	BTM	534	1602.
12	ATM	1602	2883.
	TOTAL (G)		5670
	GRAND TOTAL (A to G)		15533

अनुसूची–3					
नामेट योजना अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा मदवार निकासी के लिए स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी, वर्ष 2014–15 (राशि लाख रू0 में)					
क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	केन्द्र प्रायोजित योजना का केन्द्रांश मद	केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्यांश मद	शत–प्रतिशत राज्यांश मद में स्वीकृत पद के विरूद्ध मानदेय भुगतान/ बामेति के नव निर्मित भवन हेतु सुरक्षा व्यवस्था	कोषागार का नाम
1	2	4	5	6	8
1	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर			50.82000	जिला कोषागार, बक्सर
2	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर			42.10800	जिला कोषागार, मुंगेर
3	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास			85.66800	जिला कोषागार, रोहतास
4	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई			46.46400	जिला कोषागार, जमुई
5	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर			63.88800	जिला कोषागार, भोजपुर
6	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय			81.31200	जिला कोषागार, बेगुसराय
7	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा			90.02400	जिला कोषागार, नालंदा
8	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया			33.39600	जिला कोषागार, खगड़िया
9	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना			103.09200	जिला कोषागार, पटना
10	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय			33.39600	जिला कोषागार,लखीसराय
11	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)			50.82000	जिला कोषागार,कैमूर (भभुआ)
12	जिला कृषि पदाधिकारी, गया			107.44800	जिला कोषागार, गया
13	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा			63.88800	जिला कोषागार, नवादा
14	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा			29.04000	जिला कोषागार, शेखपुरा
15	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद			50.82000	जिला कोषागार, औरंगाबाद
16	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद			33.39600	जिला कोषागार, जहानाबाद
17	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल			24.68400	जिला कोषागार, अरवल
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण			90.02400	जिला कोषागार, सारण
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान			85.66800	जिला कोषागार, सिवान
20	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज			63.88800	जिला कोषागार, गोपालगंज
21	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर			72.60000	जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर
22	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली			72.60000	जिला कोषागार, वैशाली
23	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण			120.51600	जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण
24	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण			81.31200	जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण
25	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी			76.95600	जिला कोषागार, सीतामढ़ी
26	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर			24.68400	जिला कोषागार, शिवहर
27	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर			72.60000	जिला कोषागार, भागलपुर
28	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका			50.82000	जिला कोषागार, बांका
29	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी			94.38000	जिला कोषागार, मधुबनी
30	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर			90.02400	जिला कोषागार, समस्तीपुर
31	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा			81.31200	जिला कोषागार, दरभंगा
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा			46.46400	जिला कोषागार, सहरसा
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा			59.53200	जिला कोषागार, मधेपुरा
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ			63.88800	जिला कोषागार, पूर्णियाँ
35	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया			42.10800	जिला कोषागार, अररिया
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज			33.39600	जिला कोषागार, किशनगंज
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार			72.60000	जिला कोषागार, कटिहार
38	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल			50.82000	जिला कोषागार, सुपौल
39	कृषि निदेशक, बिहार, पटना।	664.70000	1107.85770	40.64640	नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	कुल	**664.70000**	**1107.8577**	**2477.10240**	

विनोद

15-10-14